

योजना क्रमांक 134 में वसुंधरा काम्पलेक्स में आवासीय उपयोग के 2-बी.एच.के. प्रकोष्ठों को भू-स्वामी अधिकार पर लॉटरी नियत मूल्य पर लॉटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाइन (Online) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रकोष्ठों का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	प्रकोष्ठों का विवरण	प्रकोष्ठों की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया (व. मी. में)	प्रकोष्ठों की आरक्षित कीमत (रु.लाख में)	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)
1	2-बी.एच. के	15	आवेदन फार्म में संलग्न सूची अनुसार	98.59 से 130.49	41.05 से 54.34	6.00



ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की तिथियाँ

लोकेशन हेतु स्केन करें

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	10-07-2025	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	31-07-2025	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर खोलने का दिनांक एवं समय	01-08-2025	11:30 hrs Onwards
4	पात्र आवेदकों की कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	12-08-2025	12:30 hrs

नोट :-

- ❑ लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाइट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते हैं।
- ❑ लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- ❑ आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठों के चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र एवं सभी डाक्यूमेंट की प्रति स्केनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- ❑ लॉटरी पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- ❑ सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार संपत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- ❑ आवेदक आवेदन करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर प्रकोष्ठ का अवलोकन कर आवेदन करें एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिती में दिया जावेगा।
- ❑ योजना का इ.न.पा.नि. इन्दौर के पत्र क्र. 914 दि. 04.09.2020 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र क्र. 1131 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्राप्त।
- ❑ योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक P-IND-18-1944 है।
- ❑ प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इंदौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल में मो. 9893699113 पर संपर्क करें।
प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।